न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:– श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 311/2017 दायर दिनाँक 08.11.2017

वादी		प्रतिवादीगण
1. राज्य–सरकार जरिये लैण्ड हौल्डर तहसीलदार, डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. गिरधारीलाल पुत्र रामगोपाल, जाति–माली, निवासी–आड़का बास, डीडवाना, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 2. पुष्पादेवी धर्मपत्नी दुर्गादत्त, जाति–माली, निवासी–टीबाबास, डीडवाना, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 3. किशनलाल पुत्र धन्नाराम, 4. जीवणमल पुत्र धन्नाराम, 5. गोविन्दराम पुत्र धन्नाराम, 6. जँवरीमल पुत्र धन्नाराम, 7. संतोष पुत्री धन्नाराम, समस्त,जाति–माली, निवासी–सिंघीबास, डीडवाना, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 8. प्रबन्धक, नागौर, सहकारी भूमि विकास बैंक, शाखा–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 9. प्रधानाध्यापक, राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय नम्बर 04, सिंघीबास, डीडवाना, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत् रिकॉर्ड दुरस्ती,
अन्तर्गत धारा– 136 R.T.Act.

उपस्थित :–

1. श्री अजीतसिंह राठौड, वकील, वादी।
2. श्री सुमदरसिंह नाथावत, वकील, प्रतिवादी संख्या 2 व 8 की ओर से।
3. श्री महेन्द्र सिंह [illegible], वकील, प्रतिवादी संख्या 01, 3 ता 7 की ओर से।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

4. श्री ओमप्रकाश मोट, वकील, प्रतिवादीगण संख्या की 03 ता 07 ओर से।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **04.12.2017**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, शरहद डीडवाना में परमानन्द प्राईमरी स्कूल के नाम से अनुदानित स्कूल कार्यरत थी जिसके मैनेजिंग कमेटी का खातेदार जेठानाथ चेला कालूनाथ ने अपनी खातेदारी की भूमि में से रकबा 50 बीघा जमीन वाकै शरहद डीडवाा खसरा नम्बर 1526 रकबा 40.03 बीघा, खसरा नम्बर 1608 रकबा 01.02 बीघा व खसरा नम्बर 1616 में से 08.15 बीघा भूमि स्कूल उपयोगार्थ दी व मौके व मौके पर कब्जा मैनेजिंग कमेटी को सुपुर्द कर दिया।

वक्त आपातकाल में राज्य सरकार ने उक्त स्कूल को अधिग्रहण कर लिया एवं जिलाधीश महोदय नागौर ने आदेशानुसार स्कूल के मैनेजिंग कमेटी के तत्कालीन अध्यक्ष गिरधारीलाल अग्रवाल द्वारा दिनाँक 23.08.1978 को स्कूल की सम्पत्ति जिसमें पृष्ठ संख्या 02 पर कॉलम 8(b) में एग्रीकल्चर भूमि खसरा नम्बर 1526 रकबा 40.03 बीघा, खसरा नम्बर 1608 रकबा 01.02 बीघा एवं खसरा नम्बर 1616 में से रकबा 08.15 बीघा भूमि जरिये पँजीकृत गिफ्टडीड के शिक्षा विभाग को दान कर दी। कब्जा भी शिक्षा विभाग को सौंप दिया। पँजीकृत गिफ्टडीड की छायाप्रति वाद के साथ पेश है।

उक्त पँजीकृत गिफ्टडीड दिनाँक 23.08.1978 में वर्णित शिक्षा विभाग को गिफ्ट की गयी भूमि खसरा नम्बर 1608 व 1526 की भूमि कार्यालय जिला कलक्टर महोदय नागौर द्वारा अपने पत्र क्रमांक एफ 12 (07) राजस्व/07 दिनाँक 28.09.2007 के द्वारा खेल स्टेडियम डीडवाना हेतु आरक्षित की जाकर प्रकरण राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया, तत्पश्चात् शासन सचिव युवा मामलात् एवं खेल विभाग राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक प.10(183)खेल/2008 पार्ट दिनाँक 25.06.2007 को द्वारा उक्त भूमि राजस्थान सरकार ने खेल विभाग को आवंटित किये जाने की मांग की गयी। इसी क्रम में शासन उप सचिव राजस्व ग्रुप–3 विभाग राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक प.6(113)राज/ग्रुप–3/07/ दिनाँक 14.09.2007 के अनुसार उक्त खसरान् की भूमि खेल स्टेडयम डीडवाना को आवंटन किये जाने की राजकीय स्वीकृति प्रदान की गयी।

पँजीकृत गिफ्टडीड दिनाँक 23.08.1978 में वर्णित खसरा नम्बर 1616 में से रकबा 08.15 बीघा भूमि राजस्व रिकॉर्ड में शिक्षा विभाग के नाम नामान्तरकरण होने से रह गयी। जबकि मौके पर उक्त स्कूल की मैनेजिंग कमेटी का कब्जाकाश्त रहा। जिसने समय–समय पर विभिन्न लौगों को काश्त के लिए भी दी थी।

उक्त खसरा नम्बर 1616 में से 08.15 बीघा भूमि सहवन से पूर्व के खातेदार के नाम अंकित रह गयी जिसे हड़पने की योजना के तहत् प्रतिवादीगण ने साजिश रच कर गलत नामान्तरकरण भरवा कर

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

मुल्यवान सम्पत्ति को हड़पने हेतु कथित बैचाणनामों के द्वारा हस्तानान्तरित करवा ली जिसकी जानकारी राजस्व रिकॉर्ड देखने पर हुई है।

तत्कालीन पूर्व खातेदार जेठानाथ चेला कालूनाथ ने जो 50 बीघा भूमि स्कूल की मैनेजिंग कमेटी को दी थी। उस वक्त सैटलमेन्ट के इसमें से 41.05 बीघा की खातेदारी तो मैनेजिंग कमेटी के नाम अंकित हो गयी मगर खसरा नम्बर 1616 में से 08.15 बीघा भूमि रिकॉर्ड में दर्ज होने से सहवन से रह गयी, जिस बाबत् एक सहमति ईकरारनामा जेठानाथ चेला कालूनाथ ने अलग से लिख कर दिया है, मगर राजस्व रिकॉर्ड में सहवन से दर्ज नहीं होने से शुद्धिकरण हेतु भी यह आवेदन पेश है।

वर्तमान में भी वादित खसरान् पर शिक्षा विभाग का कब्जा व आधिपत्य में है। इसलिए गलत खातेदारी के स्थान पर प्रतिवादीगण किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करे। बिनाय दावा राजस्व रिकॉर्ड में शिक्षा विभाग का नाम नहीं होने से जानकारी में आया है।

प्रार्थना वादी है कि–

पँजीकृत दस्तावेज के द्वारा रकबा 50 बीघा भूमि दी गयी में से खातेदारी अंकन से वंचित रही खसरा नम्बर 1616 की रकबा 08.15 बीघा भूमि की खातेदारी हस्ब धारा 136 एल. आर. एक्ट के द्वारा संशोधित कर राज्य सरकार के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित किया जावे।

वाद के संलग्न वाद के समर्थन में वादी का शपथ–पत्र, जमाबन्दी ग्राम डीडवाना सम्वत् 2070–2073 खेवट संख्या 172/516 की छायाप्रति, खसरा पत्रक सम्वत् 2017–18 की छायाप्रति, आंशिक नकल नक्शा ट्रेश मौजा डीडवाना की सत्यप्रति, गिफ्टडीड व सम्बन्धित कागजात् की छायाप्रतियां, पेश है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 09 को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादीगण 01 ता 07 की ओर से वाद में जवाब पेश हुंआ जिसमें प्रतिवादीगण ने जाहिर किया कि जेठानाथ चेला कालूनाथ द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में से परमानन्द प्राईमरी स्कूल को जो जमीन दिनाँक 12.01.1956 को तत्कालीन व्यवस्थापक मिलापचन्द माथुर को लिखकर दी कि वह जमीन तत्कालीन खसरा नम्बर 1448 रकबा 01.02 बीघा भूमि व खसरा नम्बर 1449 रकबा 70.15 बीघा भूमि में से कुए के चारों ओर की 50 बीघा भूमि विद्यालय के उपयोग–उपभोग हेतु सालाना 01.25 रूपये हासिल पर दी थी एवं स्कूल के उपयोग में नहीं आने पर जमीन पुनः जेठानाथ की हो जावेगी ऐसा लिखकर दिया था एवं मैनेजिंग कमेटी के तत्कालीन व्यवस्थापक मिलापचन्द माथुर ने दिनाँक 14.01.1956 को इस लिखावट पर सहमति इकरार हुई लिखकर दिया था। वर्तमान खसरा नम्बर 1616 रकबा 43.15 बीघा पुराने खसरा नम्बर 1447 का नया बना है जो कि कभी भी 1448 व 1449 का पुराने खसरे का भाग नहीं रहा है। वर्तमान खातेदार अपने–अपने हक अधिकार की भूमि पर काबिज है एवं जवाब में यह भी उल्लेख किया कि गिफ्टडीड में जो खसरा नम्बर 1616 अंकित किया है वह खसरा नम्बर 1448 व 1449 का नया खसरा

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

बताया है जवकि वास्तविक तौर पर खसरा नम्बर 1448 व 1449 का नया खसरा कतई खसरा नम्बर 1616 नहीं बना है ऐसा खसरा मिलान में अंकित है। इस कारण दिनाँक 23.08.1978 को विधि विरूद्ध गिफ्टडीड दी गयी है जो खसरा जेठानाथ द्वारा स्कूल को दिया ही नहीं गया उसे आगे गिफ्ट करना पूर्णतः अवैध व शून्य है एवं जवाब में यह भी उल्लेख किया है कि पूर्व में वाद भगवाननाथ बनाम् परमानन्द स्कूल मैनेजिंग कमेटी प्रकरण संख्या 05/12 में दिनाँक 24.12.2012 को न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर डीडवाना में विद्यालय कमेटी द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि उक्त विद्यालय से सम्बन्धित परमानन्द स्कूल मैनेजिंग कमेटी डीडवाना का हमारे विद्यालय से कोई सम्बन्ध नहीं है न ही ऐसी कोई कमेटी अस्तित्व में होने की जानकारी है। जवाब पेश कर्त्ता द्वारा वादी के कथनों को अस्वीकार किया गया एवं विशेष कथन में यह उल्लेख किया गया कि प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 द्वारा खसरा नम्बर 1616 रकबा 43.15 बीघा में से 18.05 बीघा भूमि में नामान्तरकरण स्वीकृत हो चुका है एवं जिस पर वो काबिज हैं एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 ने उक्त भूमि में से कभी किसी को गिफ्ट, दान, बेचाण या हस्तानान्तरण नहीं किया है। उक्त वाद में नॉन जोइण्ड व मिस जोइण्डर पार्टी का नुक्श बताया है व इसी खसरे के 3394/1616 के खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया जाना जाहिर किया है। प्रतिवादीगण संख्या 03 ता 07 ने जाहिर किया कि उनके पिता द्वारा दिनाँक 21.06.1972 को खातेदार जेठानाथ द्वारा खसरा नम्बर 1616 में से 14.03 बीघा भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैचाण खरीद की है इसका नामान्तरकरण दिनाँक 01.10.1973 को हो गया है। उस समय मैनेजिंग कमेटी अस्तित्व में ही नहीं थी। उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण संख्या 03 ता 07 काबिज हैं एवं इस भूमि में से किसी भी प्रकार की कोई भूमि गिफ्ट, दान, बैचाण, हस्तानान्तर आदि नहीं की है। जवाब में यह भी उल्लेख किया है कि वर्तमान में प्रतिवादीगण संख्या 03 ता 07 के पास खसरा नम्बर 1616 में से 09.02 बीघा भूमि ही खाते में हैं जिसे दुरस्त करवाने के लिए भी वो स्वतन्त्र है, आदि प्रकार का जवाब दिया है।

प्रतिवादी संख्या 08 ने कोई जवाब पेश नहीं किया। प्रतिवादी संख्या 09 ने वादी के वाद के पक्ष में जवाब पेश किया है।

विद्वान वकुलाय उभयपक्ष की सारगर्भित बहस सुनी गई। वकील वादी की बहस मुख्यतः वाद पर आधारित रही। वकील प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 07 ने निवेदन किया कि खसरा नम्बर 1616 रकबा 43.15 बीघा, खसरा नम्बर 1448 व 1449 पुराने का भाग नहीं एवं स्कूल को खसरा नम्बर 1448 व 1449 पुराने में से ही भूमि लिखकर दी गयी है। खसरा नम्बर 1616 खसरा नम्बर पुराने 1447 का ही भाग है जिसे कभी स्कूल अथवा मैनेजिंग कमेटी को नहीं दिया गया। इस कारण खसरा नम्बर 1616 में से किसी भी प्रकार से रकबा कम किया जाकर भूमि राज्य सरकार प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। बहस पर मनन् किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

लिखित 12.01.1956 के अनुसार पुराने खसरा नम्बर 1448 व 1449 ही व्यवस्थापक परमान्द प्राईमरी स्कूल सिंधी बास को रकबा 50 बीघा भूमि उपयोग–उपभोग हेतु दी गयी थी एवं दिनाँक 14.01.1956 को मिलापचन्द माथुर व्यवस्थापक परमान्द प्राईमरी स्कूल सिंधी बास ने खसरा नम्बर पुराने 1448 व 1449 में से रकबा 50 बीघा भूमि के सम्बन्ध में सहमति प्रदान की थी। खसरा मिलान का अवलोकन किया गया। खसरा मिलान के अनुसार वर्तमान खसरा नम्बर 1616 रकबा 43.15 बीघा पुराने खसरा नम्बर 1447 का ही भाग है। खसरा नम्बर 1448 व 1449 का भाग नहीं है। पटवारी रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। पटवारी रिपोर्ट के अनुसार, खेल स्टेडियम के दक्षिण दिशा की तरफ मौके पर मौके पर खसरा नम्बर 1616 में रकबा 05.08 बीघा भूमि मूल रकबे के अलावा खाली पड़ी हुई है जिसमें से रकबा 01.07 बीघा भूमि पर मौके पर सार्वजनिक निर्माण की सड़क बनी हुई है इस सड़क के अलावा मौके पर सड़क से उत्तर व पश्चिम रकबा 04.01 बीघा भूमि अधिक है।

दावा डिक्री किया जाना हमारे मत में उचित प्रतीत होता है। अतः, बाद विवेचन, वाद वादी, डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्व दावा डिक्री सादिर कर शरहद डीडवाना में खसरा नम्बर 1616 वर्तमान रकबा 43.15 बीघा के स्थान पर 49.03 बीघा दुरस्त किया जाता है एवं रकबा 49.03 बीघा में से खेल स्टेडियम से दक्षिण दिशा व सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित सड़क से उत्तर व पश्चिम की ओर रकबा 04.01 बीघा भूमि सिवाय चक घोषित की जाती है एवं रकबा 01.07 बीघा भूमि को गैरमुमकिन सड़क घोषित की जाती है तथा ग्राम डीडवाना के खसरा नम्बर 2727 रकबा 443.02 बीघा के स्थान पर रकबा 437.14 बीघा घोषित किया जाता है। खसरा नम्बर 1616 रकबा 27.08 बीघा व खसरा नम्बर 3394/1616 रकबा 16.07 बीघा यथावत् रखा जाता है।

तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **04.12.2017** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **311/2017** दायर दिनाँक **08.11.2017**

वादी		प्रतिवादीगण
1. राज्य–सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. गिरधारीलाल पुत्र रामगोपाल, जाति–माली, निवासी–आड़का बास, डीडवाना, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 2. पुष्पादेवी धर्मपत्नी दुर्गादत्त, जाति–माली, निवासी–टीबाबास, डीडवाना, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 3. किशनलाल पुत्र धन्नाराम, 4. जीवणमल पुत्र धन्नाराम, 5. गोविन्दराम पुत्र धन्नाराम, 6. जँवरीमल पुत्र धन्नाराम, 7. संतोष पुत्री धन्नाराम, समस्त,जाति–माली, निवासी–सिंधीबास, डीडवाना, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 8. प्रबन्धक, नागौर, सहकारी भूमि विकास बैंक, शाखा–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 9. प्रधानाध्यापक, राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय नम्बर 04, सिंधीबास, डीडवाना, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत् रिकॉर्ड दुरस्ती,
अन्तर्गत धारा– 136 R.T.Act.

दिनाँक **04.12.2017**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कराई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री अजीतसिंह राठौड, वकील, वादी व श्री समदरसिंह नाथावत, वकील, प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से व श्री समदरसिंह नाथावत, वकील, प्रतिवादी संख्या 02 व 08 ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्ब दावा डिक्री सादिर कर शरहद

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डीडवाना में खसरा नम्बर 1616 वर्तमान रकबा 43.15 बीघा के स्थान पर 49.03 बीघा दुरस्त किया जाता है एवं रकबा 49.03 बीघा में से खेल स्टेडियम से दक्षिण दिशा व सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित सड़क से उत्तर व पश्चिम की ओर रकबा 04.01 बीघा भूमि सिवाय चक घोषित की जाती है एवं रकबा 01.07 बीघा भूमि को गैरमुमकिन सड़क घोषित की जाती है तथा ग्राम डीडवाना के खसरा नम्बर 2727 रकबा 443.02 बीघा के स्थान पर रकबा 437.14 बीघा घोषित किया जाता है। खसरा नम्बर 1616 रकबा 27.08 बीघा व खसरा नम्बर 3394/1616 रकबा 16.07 बीघा यथावत् रखा जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो।

नीज.........–......... मुबलिंग..........–............ बाबत.............. .....–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह........–........ आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **04.12.2017** को जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प		
स्टाम्प			वकालतनामा		
वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	–		महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

क्रमांकः–311–2017/रीडर/2017/ 1106 दिनाँक 4/12/17

प्रेषितिः–

तहसीलदार
डीडवाना।

विषयः –निर्णय की पालना करने बाबत्।

दावा बाबत् रिकॉर्ड दुरस्ती,
अन्तर्गत धारा– 136 R.T.Act.

वादी		प्रतिवादीगण
1. राज्य–सरकार जरिये लैण्ड हौल्डर तहसीलदार, डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	**बनाम्**	1. गिरधारीलाल पुत्र रामगोपाल, जाति–माली, निवासी–आड़का बास, डीडवाना, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, वगैरा।

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर पालना रिर्पोट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner